न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प कोर्ट
रीवा (म0प्र0)

R 5188-II/17

1. अनिल पाण्डेय तनय स्व0 लालमन पाण्डेय Rs.301-
2. आलोक पाण्डेय तनय स्व0 रामावतार पाण्डेय
3. रामाश्रय दुबे तनय स्व0 काशी प्रसाद दुबे

तीनों निवासी ग्राम तपा, तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना रीवा (म0प्र0)

...................*निगरानीकर्तागण*

बनाम

1. रामपाल जायसवाल तनय स्व0 मिजाजी लाल जायसवाल
2. राजेश जायसवाल तनय स्व0 मिजाजी लाल जायसवाल

दोनों निवासी ग्राम तपा, तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना (म0प्र0)

.....................*गैर निगरानीकर्ता गण*

अधि0 श्री नरेन्द्र तिवारी द्वारा पेश 04.5.17

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल (सर्किट कोर्ट)

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मंडल रामपुर बघेलान, तह0 रामपुर बघेलान जिला सतना के प्र.क. 36/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि गैर निगरानीकर्ता गण के पिता मिजाजी लाल कलार द्वारा धारा 129 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 बावत् सीमांकन भूमि ख.क्र. 461, 462, 473 एवं 474 का प्रस्तुत किया गया था लेकिन गैर निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा सरहदी काश्तकार निगरानीकर्तागण को पक्षकार नहीं बनाया गया न ही किसी प्रकार का सूचना ही दिया गया, ऐसी स्थिति में किया गया सीमांकन की कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध है जो कांबिल निरस्त योग्य है।

(60)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 5188-दो/17 जिला– रीवा

अनिल पाण्डेय विरूद्ध रामपाल जायसवाल

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री नरेन्द्र तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ ~~नायब तहसीलदार~~/राजस्व निरीक्षक, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 36/अ12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-6-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 6-3-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	